In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.9£4/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated23 November, 2017 for general information.

## Government of Uttarakhand Finance Section-8 No. 97/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017

Dehradun :: Dated:: 23 November, 2017

<u>Notification</u>

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following amendment in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 526/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

- 1. In the said notification,-
- (i) in the Table, after serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

	Supply of services by the members of Overseeing Committee to Reserve Bank of India	Committee constituted by	India "
--	--	--------------------------	---------

2. This notification shall deemed to come into force from 13th day of October, 2017.

M

(RadNa Raturi)
Principal Secretary

02

## उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग—8 संख्या $9^{1}/2017/9(120)/XXVII(8)/2017$ देहरादूनःः दिनांकः 2 नवम्बर, 2017 अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 526/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् –

- 1. उक्त अधिसूचना में,
- (i) सारणी में, क्रम सं॰ 9 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा,-

	भारतीय रिजर्व बैंक की ओवेरसीइंग कमेटी	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित	भारतीय रिजर्व
	के सदस्यों द्वारा सेवाओं की आपूर्ति	ओवेरसीइंग कमेटी के सदस्य	बैंक"

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत समझी जाएगी।

(राधा रतूड़ी) प्रमुख सचिव

सं0 १६७/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्दिनांक। प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1—आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2—निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4—अपर सचिव, वित्त—८, उत्तराखण्ड शासन।

5-एन०आई०सी०

6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा) अनु सचिव